



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042026-271550
CG-DL-E-06042026-271550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 100]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सं. 54/2025-26

विषय: एफटीपी-2023 के अध्याय 4 के तहत रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए नीति सहायता और छूट उपाय।

फा. सं. 01/ 94/180/116/एएम26/पीसी-4.—वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक को प्रभावित करने वाले मौजूदा भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए और निर्यातकों की सुविधा के लिए समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 (एचबीपी 2023) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.74(ग), 4.76(ग), 4.79 (ग) (i) (क), 4.81(ख), 4.82(ख) और 4.83(ग) के अंत में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं:

(i) एचबीपी, 2023 का पैरा 4.74 (ग)

"तथापि, एक बार की छूट के रूप में, ऐसे मामलों में जहां पुनः निर्यात अवधि 01.03.2026 और 31.05.2026 के बीच समाप्त हो रही है, ऐसे पुनः निर्यात अवधि की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों तक स्वतः ही बढ़ा दी जाएगी।"

(ii) एचबीपी, 2023 का पैरा 4.76 (ग), 4.81 (ख), 4.82 (ख) और 4.83 (ग)

"तथापि, एक बार की छूट के रूप में, ऐसे मामलों में जहां निर्यात अवधि 01.03.2026 और 31.05.2026 के बीच समाप्त हो रही है, ऐसी निर्यात अवधि की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों तक स्वतः ही बढ़ा दी जाएगी।

(iii) एचबीपी, 2023 का पैरा 4.79 (ग) (i) (क)

"तथापि, एक बार की छूट के रूप में, ऐसे मामलों में जहां पुनः आयात अवधि 01.03.2026 और 31.05.2026 के बीच समाप्त हो रही है, ऐसी पुनः आयात अवधि की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों तक स्वतः ही बढ़ा दी जाएगी।

3. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई अलग आवेदन, संयोजन शुल्क, संशोधन या पृष्ठांकन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. सीमा शुल्क प्राधिकारीउपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार निर्यात/आयात (जहाँ लागू हो) की अनुमति देंगे, जो संबंधित विवरणों के आवश्यक सत्यापन के अधीन होगा।

अधिसूचना का प्रभाव: पश्चिम एशिया में मौजूदा भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया में एचबीपी-2023 के अध्याय 4 के तहत रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए सुविधात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया है, और किसी भी शुल्क या आवेदन की आवश्यकता के बिना विशिष्ट श्रेणियों के लिए निर्यात/आयात (जहाँ लागू हो) अवधि को 30 दिनों तक बढ़ाया जा रहा है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th March, 2026

No. 54/2025-26

Subject: Policy Support and Relaxation Measures for the Gem & Jewellery sector under Chapter 4 of FTP-2023.

F. No. 01/94/180/116/AM26/PC-4.—In view of the prevailing geopolitical developments affecting global trade and logistics, and with a view to facilitating exporters, the Director General of Foreign Trade, in exercise of the powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures, 2023 (HBP 2023).

2. The following provisos are added at the end of Paragraphs 4.74(c), 4.76(c), 4.79 (c) (i) (a), 4.81(b), 4.82(b) and 4.83(c) of the Handbook of Procedures, 2023:

(i) Para 4.74 (c) of HBP, 2023

“However, as a one-time relaxation, in cases where the re-export period is expiring on or between 01.03.2026 and 31.05.2026, such re-export period shall stand automatically extended by 30 days from the date of its expiry.”

(ii) Paras 4.76(c), 4.81 (b), 4.82 (b) and 4.83 (c) of HBP, 2023

“However, as a one-time relaxation, in cases where the export period is expiring on or between 01.03.2026 and 31.05.2026, such export period shall stand automatically extended by 30 days from the date of its expiry.”

(iii) Para 4.79 (c) (i) (a) of HBP, 2023

“However, as a one-time relaxation, in cases where the re-import period is expiring on or between 01.03.2026 and 31.05.2026, such re-import period shall stand automatically extended by 30 days from the date of its expiry.”

3. No separate application, composition fee, amendment, or endorsement shall be required to be made by any authority to avail this.

4. Customs Authorities shall permit export/import (as applicable) in accordance with the above provisions, subject to the necessary verification of relevant details.

Effect of the Notification: Facilitative provisions for the Gems and Jewellery sector under Chapter 4 of HBP-2023 have been incorporated in response to recent geopolitical developments in West Asia, and the export/import (as applicable) period for specific categories is being extended by 30 days without any requirement for fees or an application.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.